

अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह वन एवं बागान विकास नगिम लमिटिड को बंद करने का नरिणय

चरूा में क्यूँ ?

परधानमंत्तरी नरेन्द्र मोदी की अधूकषता में आरूथकि मामलों पर कैबनिट समतिने पोर्ट ब्लेयर स्थति केंद्र सरकार के एक उपकरुम 'अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह वन एवं बागान विकास नगिम लमिटिड' (एएनआईएफपीडीसीएल) को बंद करने और समस्त करुमचारियों की देनदारियों की अदायगी को मंजूरी दे दी है ।

परमुख बदि

- उपरूयुकरुत उपकरुम को बंद कर देने से भारत सरकार की ओर से इसको मलिने वाली अनुतूपादक ःणों को बंद करने में मदद मलिगी तथा इससे परसिंपत्तियों का और अधकि उत्तूपादक इस्तेमाल करना संभव हो पाएगा ।
- इचूछुक करुमचारियों को सूवैचूछकि सेवानवृत्तता योजना/सूवैचूछकि पृथककरण योजना (VRS/VSS) पैकेज की पेशकश करके और वीआरएस/वीएसएस को न अपनाने वाले करुमचारियों की औदूयोगकि वविाद अधनिनियम, 1947 के तहत छंटनी करके इस उददेशू की पूरूतकी जाएगी । इसमें अनूय देनदारियों, यदकि कोई हो, का नपिटान करना भी शामिल है ।
- वर्तमान में इस नगिम में 836 करुमचारी कारूयरत हैं ।

एएनआईएफपीडीसीएल क्यूा है ?

- भारत सरकार के सारूवजनकि कूषेतर के एक उपकरुम के रूूप में एएनआईएफपीडीसीएल की स्थापना वर्ष 1977 में गई थी ।
- इसका उददेशूय अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में वानकिी संबंधी बागानों का वकिस एवं परबंधन करना था ।
- यह तीन मुखूय परयोजनाओं यथा वानकिी परयोजना, रेड ऑयल पाम प्रोजेकरूट और कटछल रबर परयोजना का संचालन करता रहा है ।
- वानकिी परचालन इस नगिम की मुखूय गतविधियों में शामिल था और इसने कुल राजसूव में लगभग 75 परूतशित का योगदान दया ।

घाटे का कारण

- उचूचतम नूयायालय दूवारा 10 अकरूटूबर, 2001 और 7 मई, 2002 को सुनाए गए फैसले के मददेनजूर वानकिी गतविधियों पर रोक लगाए जाने के कारण एएनआईएफपीडीसीएल वर्ष 2001 से ही घाटे वाले उदूयम में तबदील हो गया था । इसके परणामसूवरूूप यह अपने करुमचारियों को वेतन देने में असमरूथ हो गया था ।
- नगिम के करुमचारियों को वेतन वतिरण के साथ-साथ वूधानकि भुगतान सुनशिचति करने के लयि भारत सरकार ने बूयाज वाले ःण के रूूप में एएनआईएफपीडीसीएल को वतितीय सहायता मुहैया कराई ।
- पछिले 15 वर्षों के दूरान वभिन्न समतियों गठति की गई और मंत्तूरालय दूवारा समय-समय पर प्रूोफेशनल एजेंसियों की सेवाएँ ली गई । उन्होंने करुमचारियों की उचति संखूया तय करने सहति उन सभी संभावनाओं पर वूयापक दूषूट से गूर कया है जनिका उपयोग वन नगिम के पुनरूदधार के लयि कया जा सकता है ।
- इन नरूिणयों के आधार पर कई प्रसूतावों पर गूर कया गया, लेकनि इनमें से कोई भी प्रसूताव कारगर साबति नहीं हुआ । इसके बाद वूयापक रूूप से वचिर-वमिरूश करने के बाद भारत सरकार ने इस नगिम को बंद करने का नरूिणय लया है ।